

~~15~~ ~~21~~

18

R 8282/14

महाराष्ट्र
18-2-14

राज्यीय न्यायालय महाराष्ट्र राज्य न्यायालय
मुंबई

अजीज आत्मज लाल जी नायका आयु ५० वर्ष व्यवसाय -
कृषि निवासी ग्राम धतरावदा तहसील व जि. उज्जैन

— जयदेवक

विरुद्ध

- १- श्रीक आत्मज अजर जी नायका आयु ५० वर्ष व्यवसाय -
कृषि निवासी ग्राम धतरावदा तहसील व जि. उज्जैन
- २- अजीज आत्मज लाल जी नायका आयु ४० वर्ष व्यवसाय -
कृषि निवासी ग्राम धतरावदा तहसील व जि. उज्जैन
- ३- अलीज आत्मज हमामुद्दीन आयु ६० वर्ष व्यवसाय -
कृषि निवासी ग्राम धतरावदा तहसील व जि. उज्जैन

— अनादीकरण ।

२० वर्ष प्रथम पु-राज

विधानसभे जाहेर प्रकरणा क्रमांक २७-१३/१२-१३ में दाखिल आवेश
दिनांक ३१/१२/१३.

=====

नियम १३३ के अंतर्गत जारी की गई नगरानी निम्न प्रकार है

अनुसूची

१- नगरानी का संदाप्ति विवरण -


Advocate
10/12/13

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 828-एक/14

जिला - सज्जन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत किए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण रास्ते के संबंध में है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दो बार किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर रास्ते का अंतरिम आदेश दिया गया है । साक्ष्य के आधार पर अभी अंतिम आदेश अधीनस्थ न्यायालय में होना है, ऐसी स्थिति में आवेक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी औचित्यहीन है । परिणामतः अप्राह्य की जाती है । प्रकरण जखिल रिकार्ड ही ।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशा0 सदस्य </p>	